INDIA NON JUDICIAL

IN-UP01161210250240V

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

RANVEER SINGH
E-Stamp Vendor
ACC Code No. UP14683404
Kachahari Fatehgarh
Distt. Farrukhabad

Certificate No.	:	IN-UP01161210250240V
Certificate Issued Date	:	29-Aug-2023 05:24 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14683404/ FARRUKHABAD SADAR/ UP-FRB
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP1468340497898525399850V
Purchased by	:	SHRI BABU SINGH DADDU JI COLLEGE OF PHARMACY
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	SHRI BABU SINGH DADDU JI COLLEGE OF PHARMACY
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	SHRI BABU SINGH DADDU JI COLLEGE OF PHARMACY
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	100 (One Hundred only)

NOTARIAL NOTARIAL

GITA Advocate Notary Fatehgarh-Farrukhabad Reg. No. 19514/2020 Exp. 20/1/2025 GOVT OF INDIA

6/9/2023

GITA Advocate Notary
R.No. 19514/2020
Collectrate Fatehgarh

Statutory Alert:

(प्रारूप–अ)

हम **विश्वनाथ सिंह** अध्यक्ष एवं **डा0 नागेन्द्र सिंह** सचिव मेजर शिवदयाल सिंह शिक्षण संस्थान सिविल लाइन फूस बंगला फतेहगढ़, फर्रुखाबाद शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं–

1. यह कि हमारी सोसाइटी द्वारा **श्री बाबू सिंह दद्दू जी कालेज ऑफ फार्मेसी खंदिया मऊदरवाजा, फर्रुखाबाद** नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023–24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारी सोसाइटी के नाम **खंदिया मऊदरवाजा, फर्रुखाबाद** में गाटा सं0 **56 एव 68** रकबा क्रमशः 0.2187 हे0 एवं 0.1255 हेक्टेयर कुल रकबा 0.3442 हेक्टेयर भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई वाद किसी भी न्यायालय में नही चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि, उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा सं0 56 एवं 68 में 0.2187 हे0 एवं 0.1255 हे0 रकबा क्रमशः 0.2187 हे0 एवं 0.1255 हेक्टयर कुल रकबा 0.3442 हेक्टेयर पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी की बैठक दिनाँक 02.07.2022 द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि, उपरोक्त भूमि पर प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।
6. यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।
8. यह कि इस संस्था में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित /सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई0टी0आई0 आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।
10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक, क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।
11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी द्वारा सत्र प्रारम्भ के पूर्व कर लिया जायेगा।
12. यह कि, शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन करूँगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।
13. मैं घोषणा करता/करती हूं कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्णरूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

ह0 सचिव   **ह0अध्यक्ष**

01/3/2023

ATTESTED

GITA Advocate Notary
R.No. 19514/2020
Collectrate Fatehgarh